सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 03, गुरूवार, शाके 1943–जून 24, 2021 *Asadha 03, Thursday, Saka 1943- June 24, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, भोपालगढ़ जिला-जोधपुर (राज.)

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन 2009) की धारा 337, 338 तथा 339 (सी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका भोपागलढ़ एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है । अर्थात्

-: नगर पालिका, भोपालगढ़ तहबाजारी व अतिछाजनों की अनुमति विधयक उपविधियां, 2021 :-

जोधपुर, जून 11, 2021

1. संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रभाव:-

(1.) ये नियम नगर पालिका भोपालगढ़ (तहबाजारी व अतिछाजनों की अनुमति विधयक) उपनियम 2021 कहलायेगें ।

(2.) इन नियमों का प्रभाव नगर पालिका भोपालगढ़ की समस्त सीमा क्षैत्र में होगा ।

(3.) ये नियम इनके राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह बाद प्रभावशील होगें।

(2) परिभाषायें:-

(1) जब तक अर्थ में असंगतता अथाव भाव में विपरितता न खाती इन उपनियमों के प्रयोजनार्थ निम्न लिखित शब्दों की परिभाषाये निम्न व्यवहीत होगीं ।

A. अधिनियम से अभिप्रेत राजस्थान नगर पालिका 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 1959) से है।

B. अतिछाजन से तात्पर्य नगर पालिका की भूमि पर तामीर के अग्रिम भाग पर धूप वर्षा आदि के रक्षार्थ लटकते हुई अस्थाई छाजन से है ।

C. अनुज्ञापत्र से तात्पर्य इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने अनुज्ञापत्र से है ।

D. अधिशाषी अधिकारी से अभिप्रेत नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी से है ।

E. बोर्ड से अभिप्रेत नगर पालिका बोर्ड भोपालगढ़ से है ।

F. नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका भोपागलढ़ से है ।

G. अध्यक्ष से अभिप्रेत बोर्ड के अध्यक्ष से है जिसमें प्रशासक भी शामिल है ।

H. अनुज्ञापत्र धारी से तात्पर्य अनुज्ञापत्र के धारक से है तथा उसमें उसका अभिकर्ता प्रतिनिधी व अन्य कर्तव्यस्थ सेवक भी सम्मिलित है ।

I. सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत उस अधिकारी से है जिसे पालिका द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ अधिकृत किया जावें ।

J. तहबाजारी से तात्पर्य नगर पालिका में निहत किसी भूमि को अस्थाई रूप से किराये पर दिये जाने है।

3. स्पष्टीकरण:-

बोर्ड के निहित किसी रास्ते, गली या अन्य भूमि पर कोई व्यक्ति अनुज्ञाधारी की लिखित अनुमति के बिना कोई सामान अथवा मलवा जममा नहीं करेगा और ना हीं कोई वाहन खड़ा करेगा ।

बोर्ड में निहित किसी रास्ते, नाली, नहर या अन्य भूमि पर सामान अथवा मलवा जमा करने वाहन खड़ा करने पर जो रकम ली जावेगीं उसकी गणना अधिवासित भूति की वह होगी जो खण्ड 14 (क) में दर्ज है और ऐसी रकम अग्रिम जमा करानी होगी ।

(क) यदि किसी रास्ते या स्थान जो पैदल चलने वाले यात्रियों या गाडियों के लिये खुले हो पर जमा किये हुए किसी सामान अथवा मलवे का स्वामी आने जाने वाले को खतरा न हो इसके लिए उचित रक्षात्मक व्यवस्था करने में असफल रहता है तो अधिशाषी अधिकारी उसके उपर एक नोटिस जारी करेगा जिसके तामिल होने के 24 घंटे के भीतर भीतर ऐसी व्यवस्था करने का आदेश देगा और उसमें यह उल्लेख होगा कि यदि स्वामी नोटिस की पालना न करे तो अधिशाषी अधिकारी उस कार्य को स्वामी को खर्चे से कराने में होने वाली लागत का एक बिल साथ नत्थी कर देगा जैसी व्यवस्था की जानी है उसका नोटिस में स्पष्टतया लिखित में रूप में उल्लेख किया जायेगा जिसकी पालना सम्बन्धित को करनी होगी। अन्यथा अधिशाषी अधिकारी उसे हटाने में सक्षम होगा ।

4. जमीन किराये पर अस्थाई रूप से दी जायेगी:-

(1) भूमि किराये हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा जिसके संलग्न किराये पर ली जाने वाली भूमि का नक्शा एवं एक अस्थायी रूप से किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा । शपथ पत्र का प्रारूप नगर पालिका द्वारा दिया जायेगा ।

(2) बोर्ड के क्षेत्र में जो जमीन आबादी की होगा या खुल प्लाॅट हो एवं दुकान/मकान के सामने पालिका की जमीन हो उसका किराया लेने का अधिकार बोर्ड या अधिशाषी अधिकारी को होगा ।

(3) बोर्ड द्वारा कोई जमीन खुले प्लाॅटों के रकबा के रूप में होगीं तो उसे नीलामी द्वारा किराये पर दिया जा सकता है । किराये लेने वाले को उसका एक वर्ष का किराया अग्रिम रूप में देना होगा अन्यथा अपना कब्जा स्वतः ही हटना पड़ेगा। किराये पर दी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कच्चा पक्का नहीं किया जा सकेगा ।

(4) पालिका को अधिकार होगा कि प्रतिवर्ष भूमि एक व्यक्ति को दे या नहीं दे । यदि उचित समझे तो आगामी वर्ष भूमि को पुनः नीलामी कर किराये पर दे सके जिसके लिए पिछले किरायेदार का कोई उज्र एतराज नहीं सुना जायेगा। यदि पिछले किरायेदार को आगामी वर्ष के लिये रखा जाता है तो निर्धारित किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगीं ।

(5) यदि पिछला किराये दार दोषी पाया जाता है तो वह भूमि उससे खाली करवा कर पुनः किराये पर दी जा सकेगीं ।

(6) एक बार किराये पर दी गई भूमि चाहे व चालू साल के बीच में ही किराये पर ली गई हो तो किरया सम्पूर्ण 1 वर्ष का देना होगा यदि किराये दार द्वारा बीच में जमीन खाली कर दी जाती है तो जमा किराया वापस नहीं लौटाया जायेगा ।

(7) यदि पालिका बीच में किसी कारणवंश जमीन किरायेदार से खाली करवाना चाहती है तो 30 दिन को नोटिस किरायेदार को दिया जायेगा । इस अवधि के अन्दर किरायेदार को भूमि खाली करनी होगीं वह किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा परन्तु वह ऐसी स्थिति में साल के शेष दिनों का किराया पाने का हकदार होगा ।

(8) यदि भूमि का किराया किरायेदार द्वारा अग्रिम जमा नहीं करवाया जाता है और किरायेदार का कब्जा रहता है तो भूमि पालिका द्वारा खाली करवा ली जावेगीं ।

5. फल आदि बेचने के लिए आम रास्तों पर कब्जा:-

(1) तरकारियां/फल, रेशमी तथा सूती साल या असबाब आम, जलाने की लकड़ी मिटी के धडत्रे एवं अन्य सामान बेचने के वास्ते किसी आम रास्ते पर अस्थायी कब्जा करने के लिये प्रतिदिन फीस नियम 14 क के अनुसार वसूली की जायेगीं परन्तु शर्त यह है कि अधिशाषी अधिकारी आम रास्ते पर ऐसे अस्थायी कब्जा करने की अनुमति दे सकेगा जिससे जनता को असुविधा न हो परन्तु ऐसे व्यक्ति को स्थायी रूप से वहां पर पाट आदि नहीं लगाने दिया जायेगा । वह जमीन पर ही अपना सामान रखेगा एवं रात्री में पुनः हटा लेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त है तो तदउपरान्त उपेक्षाकृत अधिक स्थान पर कब्जा कर लेता है तो इस प्रकार के कब्जे में किये गये अधिक क्षेत्र के लिए उसी रकम का भुगतान का भागी हो जो इस कब्जा किये गये क्षेत्र के हर वर्ग फुट के लिये 5/- रू प्रति दिन की दर से देय होगा ।

6. आम रास्तो पर पांडाल अथवा अस्थायी अन्य निर्माण खड़े करने के सम्बन्ध में:-

क - शादी या अन्य प्रयोजनार्थ किसी भी रास्ते या अन्य भूमि पर अधिशाषी अधिकारी की लिखित के बिना कोई भी पांडाल या अन्य अस्थायी निर्माण खड़ा नहीं किया जावेगा ।

ख - ऐसे अस्थायी निर्माण किये जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र जिसमें स्थान नाम या अन्य विवरण दिये हुए होगे, प्राप्त होने पर अधिशाषी अधिकारी यदि उसके विषय में कोई, आपति न हो तो ऐसी शर्तो पर जो जनता की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो निम्नलिखित फीस के भुगतान करने पर अस्थायी पांडाल लगाने की आज्ञा दे सकेगा । 10/- रू प्रति वर्गगज पांडाल अथवा उसके किसी भाग पर वसूल होगा ।

ग - साधारण तौर पर 2 दिन से ज्यादा के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी। मूल फीस के आगे फीस का भुगतान करने पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिशाषी अधिकारी अवधि अढ़ाने में सक्षम होगा परन्तु यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगीं ।

घ - यदि अनुज्ञापत्र में स्वीकृत समय की समाप्ति पर या विशेष प्रार्थना-पत्र पर उसे बढ़ाये गये समय की समाप्ति पर वह व्यक्ति जिसने पांडाल खड़ा किया है उसमें निर्माण को नहीं हटाता है तो अधिशाषी अधिकारी ऐसे समय उसे तुरन्त हटाने में सक्षम हओगा जिसका व्यय सम्बन्धित से वसूल किया जायेगा।

ड - जो पांडाल धर्माथ या सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजनार्थ बनाये जायेगें उनके विषय में बिना फीस अनुमति दी जा सकेगी परन्तु 15 दिन से अधिक नहीं होगीं ।

च - यदि कोई पांडाला व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु लगाया जाता है तो उसमें निर्धारित फीस का दो गुणा से किराया वसूला जावेगा जिसकी अवधि अधिकतम 15 दिन होगीं परन्तु प्रार्थी के आवेदन पर अधिशाषी अधिकारी उसे बढ़ाने में सक्षम होगा ।

7. आम रास्तो पर अतिछाजन के सम्बन्ध में:-

(1) किसी भी रास्ते पर चैड़ाई में 5 मीटर से कम हो कोई बरसाती, बोर्ड धूप से बचने के लिये पर्दा दुकान का बोर्ड या अन्य किसी अतिछाजन के लिये अनुमति नहीं दी जायेगीं ।

(2) ऐसे रास्तो पर जो चैड़ाई में 5 मीटर से अधिक परन्तु 10 मीटर से कम हो तो 1 मीटर की चैड़ाई के लिये बरसाती बोर्ड धूप से बचने के लिये पर्दे दुकान का बोर्ड आदि लगाने की स्वीकृति दी जा सकेगीं।

(3) ऐसे रास्तो पर जो चैड़ाई में 10 मीटर से अधिक हो तो 1.5 मीटर की चैड़ाई के लिये बरसाती बोर्ड धूप में बचने के लिये पर्दे दुकान को बोर्ड आदि की स्वीकृति दी जा सकेगीं ।

(4) बरसाती बोर्ड आदि हमेशा अज्वलनशील पदार्थ के बनये हुये होगें ।

(5) बरसाती बोर्ड आदि के लिये निम्नानुसार फीस देय होगीं :-

लम्बाई 1 मीटर एवं चैड़ाई 2 मीटर यादि कुल क्षेत्र फल 2 मीटर हो तो फीस 50/-रू प्रति बोर्ड प्रति माह देय होगीं, इससे अधिक होने पर 5/- रू प्रति वर्गमीटर से निर्धारित की जायेगी।

(6) बरसाती बोर्ड एवं धूप में बचाव के लिये पर्दे आदि का फर्श/भूमि के धरातल से 2 मीटर से कम उंचाई पर नहीं होगें ।

(7) किसी भी प्रकार का पर्दा भूमि से बांस एवं बल्ली लगाकर नहीं लगाया जायेगा ।

(8) किराये पर दी हुई भूमि किरायेदार द्वारा चालू वर्ष में या आगामी वर्ष में किसी अन्य को किराये पर नहीं दी जा सकेगीं और न हीं टार्सफर की जा सकेगीं । उक्त भूमि किराये दार अपने निजी के प्रयोग में ला सकेगा, किसी अन्य को कारोबार के लिये नहीं बैठा सकेगा । यदि कोई भूमि किसी किरायेदार के नाम पर किराये है और उस किरायेदार ने बोर्ड की आज्ञा के बिना किसी अन्य को किराये पर दे दी है जिसे अन्य व्यक्ति के नाम यह भूमि पालिका के रेकॅर्ड में दर्ज नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को अतिक्रमी समझा जा कर बिना सूचना के उससे भूमि खाली करवाली जावेगी और किराये दार का नाम नगर पालि रेकॅर्ड से हटा दिया जायेगा। ऐसी भूमि दुबारा उस किराये दार को किसी भी सूरत में नहीं दी जावेगीं और अन्य भूमि किराये पर दिये जाने हेतु उस व्यक्ति को उपयुक्त नहीं समझा जावेगा ।

(9) तह बाजारी व जमीन किराये का अनुज्ञापत्र एक अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा ।

(10) अनुज्ञाधारी को प्रत्येक वर्ष 15 तारीख तक किराया देना होगा अन्यथा 5/-रू प्रति दिन से पैनेल्टी वसूली की जावेगीं ।

(11) कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में निहित किसी खुली जगह को बिना पालिका की इजाज प्राप्त किये एवं उपनियमों के मुताबिक फीस किराये काम में नहीं ले सकेगा ।

(12) जिस किसी व्यक्ति को वार्ड में निहित स्थान पर तामिर बनाने के लिये मलवा जैसे ईट, चूना, पत्थर आदि रखने की अनुमति प्राप्त है ऐसा मलवा हटाने समय नगर पालिका कार्यालय में लिखित में सूचना देनी होगी अन्यथा उसका किराया जब लिखित सूचना दे चालू रहेगा ।

13. निम्न लिखित कार्यो की उनके सामने अंकित फीस देय होगीं ।

क्र.स.	विवरण	दर
1	बाजार की दुकानों के सामने खुली जमीन	25/- रू प्रति वर्गमीटर प्रति माह।
2	लोहे की या लकड़ी की स्टाॅल रखने आलमारी	100/- रू प्रति स्टाॅल प्रति माह।

	जिसकी चैड़ाई 1 मीटर से ज्यादा न हो ।	
3	पब्लिक सिनेमा/सर्कस, धनोपार्जन के लिये अस्थाई दुकान/सैल आदि लगाने हेतु ।	25/- रू प्रति वर्गमीटर प्रति दिन।
4	फल/सब्जी अथवा अन्य कोई पदार्थ अस्थायी रूप से बेचने के लिये ।	5/- रू प्रति वर्गमीटर प्रति दिन।
5	हलवाई गिरी की भट्टी लगाने हेतु ।	50/- रू प्रति भटी प्रतिदिन ।
6	छप्परा, अस्थायी टीन का छज्जा या दुकानों के आगे कपड़े का अतिछाजन ।	10/- रू प्रति वर्ग मीटर अतिछाजन प्रति माह ।
7	टैक्सी स्टेण्ड हेतु ।	10/- रू प्रतिदिन ।
8	तख्ता/पाटा लगाने हेतु ।	25/-/- रू प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन ।
9	फैरीवाले खोमचे जो पटरी पर बैठते है	5/- रू प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन।
10	फैरी वाले हाथ थैले ।	15/- रू प्रति थैला प्रति दिन ।
11	बैच/कुर्सी/मुडे आदि ।	5/- रू प्रति वर्गमीटर प्रति दिन ।

(14) कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी दुकानों के आगे पालिका की जमीन पर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार सामान नहीं रखेगा और अगर इस प्रकार भूमि रोकी हुई पाई जायेगा तो उक्त अधिकारी को पूर्ण अधिकार को होगा की वह केवल इस अधिसूचना के आधार पर ऐसे सामान अपने कब्जे में कर सकेगा जो 100/- रू प्रति दिन से पैनेल्टी अदा करने के बाद ही वापस स्वामी को दी जा सकेगीं। यदि 3 दिन में स्वामी वापस नहीं ले जाता है तो पालिका उसे नीलाम करने में सक्षम रहेगीं ।

15. शास्तियां:-उपरोक्त उप नियमों में से किसी भी उप नियम की अवहेलना करने पर अनुज्ञा पत्र रद्ध किये जाने के अतिरिक्त सक्षम चालान प्रस्तुत किया जा सकेगा, अपराध प्रमाणित होने पर दण्डपाल द्वारा 1000/- रू तक का जुर्माना एवं 15 दिवस का कारावास किया जा सकेग, जब तक उपविधियों में संशोधन न हो तब तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत के साथ दरें लागू होगीं ।

सुरेशचन्द्र शर्मा,
प्रशासक/अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, भोपालगढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।